प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा और माननीय श्री राधे श्याम शर्मा

न्यायमूर्तिगण

रिट याचिका(सिविल)क्रमांक 2920/2011

याचिकाकर्ता: मेसर्स एस. कुमार एसोसिएट्स एकेएम (संयुक्त उद्यम)

बनाम

उत्तरदातागण: मुख्य महाप्रबंधक (सीएमसी) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

विचारार्थ प्रस्तुत

हस्ताक्षरित

सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित

आर.एस. शर्मा,

न्यायाधीश

आदेश हेतु दिनांक 14/12/2011 को सूचीबद्ध करे।

हस्ताक्षरित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा और माननीय श्री राधे श्याम शर्मा न्यायमूर्तिगण

रिट याचिक(सिविल)क्रमांक 2920 वर्ष 2011

याचिकाकर्ता मेसर्स एस. कुमार एसोसिएट्स एकेएम (संयुक्त उद्यम) की प्रमुख भागीदार श्रीमती प्रिया अग्रवाल, पति संजय अग्रवाल, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी कोरबा, द्वारा अटॉर्नी धारक संजय अग्रवाल, पुत्र श्री जी.एस. अग्रवाल, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी मेन रोड कोरबा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण 1. मुख्य महाप्रबंधक (सीएमसी), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स क्षेत्र लिमिटेड, एस.ई.सी.एल. भवन, सीपत रोड, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ ग.)

2 अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

3. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा महाप्रबंधक, एसईसीएल, सीपत रोड, बिलासपुर (छ ग.) ।

4 सैनिक माइनिंग और. एलाइड सर्विस लिमिटेड, ओल्ड वीटी सेंटर, पी.ओ. एसईसीएल गेवरा परियोजना। जिला- कोरबा (छ.ग.) पिन 495452

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर रिट याचिका)

उपस्थिति: श्री मनोज परांजपे, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री ओ.पी. अग्रवाल, अधिवक्ता उत्तरवादी 1, 2 और 3 की ओर से उपस्थित हुए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक कुमार गुप्ता और श्री आर.पी. सिंह उपस्थित हुए।

आदेश

(14.12.2011)

न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा ने न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया।

(1) उत्तरवादी संख्या 1 ने दिनांक 8.3.2011 को निविदा (एनआईटी) जारी कर भारी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) किराए पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं, जिनका उपयोग अतिरिक्त मिट्टी की खुदाई, टिपरों में लोडिंग, परिवहन और खुदाई

सामग्री और गाद की अनलोडिंग, डंपिंग डोजिंग, स्क्रैपिंग/बैंड हटाने, ढुलाई सड़क की तैयारी/रखरखाव, जल छिड़काव आदि के लिए किया जाएगा। निविदा दस्तावेजों का खंड 2.4 संयुक्त उद्यम से संबंधित है। खंड 2.4 के तीन महत्वपूर्ण उपखंड जो संयुक्त उद्यम से संबंधित हैं, अर्थात् 2.4.**iii**, 2.4.**v** और 2.4.**x** इस प्रकार हैं:

अंतर्गत:-

"2.4.**iii** किसी भी बोली पर इस प्रकार हस्ताक्षर किए जाएंगे जिससे सभी साझेदार संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से कानूनी रूप से बाध्य हों, और किसी भी बोली के साथ संयुक्त उद्यम समझौते (जेवी समझौता) की एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी जिसमें अनुबंध के संबंध में संयुक्त और व्यक्तिगत दायित्वों का प्रावधान हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2.4.**v** बोली प्रस्तुत करते समय संयुक्त उद्यम साझेदारों के बीच संबंधों के दस्तावेजी प्रमाण के रूप में संयुक्त उद्यम समझौता प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो प्रस्तावित समझौते के लिए सभी साझेदारों को संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से बाध्य करे। इस समझौते में संयुक्त उद्यम के गठन, संचालन, कार्य और वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित जिम्मेदारियों, भागीदारी (कुल में प्रतिशत हिस्सा) और संयुक्त उद्यम में शामिल प्रत्येक फर्म के लिए संयुक्त और व्यक्तिगत देनदारियों के सिद्धांतों का उल्लेख होना चाहिए। ऐसे संयुक्त उद्यम समझौते में आवेदन की गई सुविधाओं के लिए बोली लगाने (यदि पूर्व-योग्य घोषित किया जाता है) और बोली सफल होने

पर सुविधाओं के लिए अनुबंध निष्पादित करने की पक्षकारो की प्रतिबद्धता का प्रमाण होना चाहिए।

2.4.**x** संयुक्त उद्यम समझौते में इस अनुबंध के निष्पादन के उद्देश्य से प्रत्येक भागीदार का हिस्सा निर्दिष्ट किया जा सकता है। यह केवल अनुबंध के मूल्य को उस सीमा तक संबंधित भागीदार को आवंटित करने के लिए आवश्यक है, ताकि यदि वह किसी निविदा में योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य बोलियों में भाग लेना चाहे तो उसे यह हिस्सा दिया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) याचिकाकर्ता ने संयुक्त उद्यम के रूप में अपनी बोली प्रस्तुत करके निविदा में भाग लिया। याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली अस्वीकृत कर दी गई और उसकी मूल्य बोली को उत्तरवादी क्र 1 से 3 द्वारा रिट याचिका के कंडिका 8.4 और 8.5 के उत्तर में दिए गए आधार पर नहीं खोला गया, जो इस प्रकार है:-

"इस मामले में संयुक्त उद्यम समझौता स्वीकार्य नहीं पाया गया है। वर्तमान मामले में संयुक्त उद्यम समझौता निविदा आमंत्रण सूचना के अनुरूप नहीं था, क्योंकि संयुक्त उद्यम के घटकों की जिम्मेदारी "संयुक्त और अलग-अलग" नहीं बल्कि उनके हिस्से के अनुपात में थी। अतः विवाद की स्थिति में, उत्तरवादी किसी एक साझेदार से पूर्ण क्षतिपूर्ति या लागत वसूल नहीं कर सकता, बल्कि उसे दोनों

साझेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी, जो निविदा आमंत्रण सूचना के संबंधित भाग का उद्देश्य नहीं था। यह विचलन महत्वपूर्ण और सारगर्भित है और इसके कारण तकनीकी बोली अस्वीकृत की जानी चाहिए।"

(3) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज परंजपे ने तर्क दिया कि उपरोक्त आधार पर याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली को अस्वीकार करना मनमाना और अवैध है; संयुक्त उद्यम समझौता (जिसे आगे 'संयुक्त उद्यम समझौता' कहा गया है) सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और बताई गई कमियां सही नहीं हैं। उन्होंने हमें संयुक्त उद्यम समझौते (अनुलग्नक-पी/3) के विभिन्न खंडों की ओर ध्यान दिलाया और तर्क प्रस्तुत किया कि समझौते की विषयवस्तु इससे यह दर्शित होता है कि यह उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 8.3.2011 को दिए गए अपने एनआईटी में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) दूसरी ओर, उत्तरवादी क्र 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन.के. शुक्ला और उत्तरवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार गुप्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली अस्वीकृत होने के बाद, उत्तरवादी संख्या 4 को पात्र पाया गया और

उत्तरवादी संख्या 4 के पक्ष में दिनांक 23.6.2011 को आशय पत्र (एलओआई) पहले ही जारी किया जा चुका है।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) दिनांक 25 मार्च, 2011 के संयुक्त उद्यम समझौते की प्रति अभिलेख में दाखिल कर दी गई है। संयुक्त उद्यम समझौते का अनुच्छेद 3 संयुक्त और पृथक दायित्व से संबंधित है। उक्त समझौते के अनुच्छेद 3 और 4 इस प्रकार हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अनुच्छेद - 3: संयुक्त और पृथक दायित्व:</u>

3.1 यदि परियोजना के लिए अनुबंध (जिसे इसके बाद "अनुबंध" कहा जाएगा) प्रदान किया जाता है, तो इस अनुबंध के पक्षकार अनुबंध के अनुसार परियोजना के निष्पादन के लिए नियोक्ता के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होंगे।

<u>अनुच्छेद 4: आनुपातिक हिस्सा</u>:

4.1 जब तक संयुक्त उद्यम समझौते में स्पष्ट रूप से इसके विपरीत उल्लेख न किया गया हो, पक्षों के वित्तीय हित निम्नलिखित अनुपातों (इसके बाद "अनुपात" कहा जाएगा) में होंगे।

मेसर्स एस. कुमार एसोसिएट्स (लीड पार्टनर)	70%
एकेएम पार्टनर	30%

4.2 अनुबंध से उत्पन्न सभी अधिकार, ब्याज, देनदारियां, दायित्व, जोखिम, लागत, व्यय और वित्तीय दायित्व तथा सभी शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि (संयुक्त उद्यम समझौते में अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर) परियोजना के अनुपात में पक्षों द्वारा साझा या वहन किए जाएंगे।

(7) एस.ई.सी.एल. की मुख्य आपत्ति अनुच्छेद 4.2 में प्रयुक्त भाषा को लेकर प्रतीत होती है। डॉ. शुक्ला ने तर्क दिया है कि अनुबंध के खंड 4.2 के कारण, अनुबंध के साझेदार सभी परिणामों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी नहीं थे और उनकी देनदारियां खंड 4.1 में निहित अनुपात में थीं, इसलिए, संयुक्त उद्यम अनुबंध एनआईटी के खंड 2.4 के मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा था, जिसमें संयुक्त उद्यम अनुबंध के सभी साझेदारों को अनुबंध के संबंध में संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होना आवश्यक था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) हमें डॉ. शुक्ला द्वारा प्रस्तुत तर्क में कोई दम नहीं लगता। संयुक्त उद्यम समझौते के खंड 3.1 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त उद्यम समझौते के पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई थी कि वे अनुबंध के अनुसार परियोजना के निष्पादन के लिए नियोक्ता के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग

रूप से उत्तरदायी होंगे। 'अनुबंध' शब्द को अनुबंध के सामान्य नियमों और शर्तों में परिभाषा खंड 1.**ix** के तहत परिभाषित किया गया है। उक्त खंड के अनुसार, 'अनुबंध' का अर्थ निविदा आमंत्रित करने की सूचना, कंपनी द्वारा स्वीकृत निविदा और कंपनी तथा ठेकेदार के बीच निष्पादित औपचारिक समझौता, साथ ही उसमें उल्लिखित दस्तावेज, जिनमें सामान्य नियम और शर्तें, यदि कोई विशेष शर्तें हों, मात्राओं की अनुसूची, दरें और राशि कार्य अनुसूची शामिल हैं, होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त उद्यम अनुबंध (एनआईटी) में ही अनुबंध को व्यापक अर्थ दिया गया है और साझेदारों को संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए एनआईटी की आवश्यकता अनुबंध के संबंध में थी, जैसा कि ऊपर उल्लिखित खंड 2.4.**iii** की भाषा से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता ने अपने संयुक्त उद्यम अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यदि परियोजना का अनुबंध दिया जाता है, तो अनुबंध के पक्षकार अनुबंध के अनुसार परियोजना के निष्पादन के लिए नियोक्ता के प्रति संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। अतः साझेदारों की संयुक्त और व्यक्तिगत देनदारियों की शर्त संयुक्त उद्यम अनुबंध में स्पष्ट रूप से पूरी की गई थी। उत्तरवादीगण ने संयुक्त उद्यम अनुबंध के खंड 4.2 पर जोर देते हुए कहा है कि उक्त खंड जिम्मेदारी के हिस्से के बारे में बात करता है और यह खंड 3.1 के माध्यम से पहले घोषित साझेदार की संयुक्त और व्यक्तिगत देनदारी से विरोधाभास रखता है। खंड 4.2 की भाषा के आलोक में उत्तरवादीगण का उपरोक्त तर्क स्वीकार नहीं किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जा सकता है। यद्यपि इसमें अधिकार, हित, देनदारी, दायित्व, जोखिम, लागत व्यय और वित्तीय दायित्व आदि तथा उनके बंटवारे की बात की गई है, लेकिन इसमें "संयुक्त उद्यम समझौते में अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर" जैसा प्रावधान भी है, जो खंड 3.1 को संरक्षित करता है। संयुक्त उद्यम समझौते के खंड 3.1 और 4.2 को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि समझौते में यह प्रावधान है कि अनुबंध के पक्षकार परियोजना को अनुबंध के अनुसार निष्पादित करने के लिए नियोक्ता के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होंगे। अतः उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9) ऊपर उल्लिखित संयुक्त उद्यम समझौते में आनुपातिक हिस्सेदारी का खंड, अर्थात् खंड 4.1, एनआईटी के खंड 2.4.**x** के संबंध में है। इसके पीछे पूरा विचार यह है कि अनुबंध के मूल्य को प्रत्येक भागीदार के हिस्से के अनुसार विभाजित किया जाए ताकि अन्य बोलियों में बाद में प्रस्तुत की जाने वाली बोलियों में योग्यता प्राप्त की जा सके।

(10) किसी दस्तावेज़ या प्रपत्र में किसी भी खंड को पृथक रूप से नहीं पढ़ा जाएगा। दस्तावेज़ को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यदि संपूर्ण संयुक्त उद्यम समझौते को समग्र रूप से पढ़ने के बाद, यह नियोक्ता द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है, तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बोली को किसी एक खंड के आधार पर

अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, अन्य खंडों के उल्लेख के प्रभाव को अनदेखा करते हुए, जिनका संयुक्त रूप से पढ़ने पर नियोक्ता द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाला सही अर्थ निकलता है।

(11) **केरल राज्य बनाम मेसर्स ज़ूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, 2009 एआईआर एससीडब्ल्यू 1976** में, इसी तरह का तर्क उठाया गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"इसके अलावा, जैसा कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले में सही कहा है, कर्नाटक सरकार की यह आशंका निराधार थी कि कंसोर्टियम के सदस्यों के बीच विवाद होने पर या परियोजना के लागू न होने की स्थिति में, कर्नाटक सरकार अपना दावा लागू नहीं कर पाएगी, क्योंकि सफल बोलीदाता और लाइसेंसकर्ता (कर्क सरकार) के बीच लाइसेंस समझौता अभी होना बाकी था, जिसमें आरएफपी में उल्लिखित "संयुक्त और व्यक्तिगत दायित्व" का प्रावधान होना था। कंसोर्टियम समझौता केवल लाइसेंस समझौते का पालन करने का आश्वासन या प्रतिबद्धता थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) यदि हम उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले में लागू करें, तो इस मामले में भी, संयुक्त उद्यम समझौता केवल अंतिम समझौते का पालन करने का आश्वासन या प्रतिबद्धता था और एक बार जब कंसोर्टियम सफल बोलीदाता बन जाता है और

अनुबंध लेने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है, तो एस.ई.सी.एल. और सफल बोलीदाता के बीच एक समझौता अभी भी निष्पादित किया जाना बाकी है और यह वह चरण है जब संयुक्त और अनेक दायित्व का खंड अंतिम समझौते में शामिल किया जा सकता है जो अंततः संयुक्त उद्यम समझौते के पक्षों को बाध्य करेगा और उस स्थिति में, उत्तरवादीगण द्वारा आशंका जताई गई कोई हानि संभव नहीं हो सकती है।

(13) उपरोक्त कारणों से, याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली को उपरोक्त आधारों पर अस्वीकार करने का उत्तरवादी क्र 1 से 3 का निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और इसे अपास्त किया जाता है। उत्तरवादी क्र 1 से 3 को निर्देश दिया जाता है कि वे संयुक्त उद्यम समझौते की शर्तों के आधार पर याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली को अस्वीकार किए बिना उसका पुनः मूल्यांकन करें और कानून के अनुसार उचित निर्णय लें। यह कहना अनावश्यक है कि याचिकाकर्ता की तकनीकी बोली को अस्वीकार किए जाने के बाद जो भी विकास हुआ है वह निरर्थक होगा और निविदा प्रक्रिया तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के चरण से पुनः प्रारंभ की जाएगी।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ताक्षरित
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

हस्ताक्षरित
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

<u>अस्वीकरणः</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By- AYUSH TRIPATHI, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur